छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 290 **SM-PRO-2021-01489**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध मेसर्स चन्द्रपाल शुक्ला, द्वारा–श्री मनीष शुक्ला, पता–चन्द्र नगर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''चन्द्र प्राईड'' जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
08/11/2021	– प्रकरण प्रस्तुत । – अनावेदक/प्रमोटर मेसर्स चन्द्रपाल शुक्ला द्वारा श्री मनीष शुक्ला, चन्द्र नगर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ''चन्द्र प्राईड'' जिला–रायगढ (छ.ग.) में मिश्रित डेव्हलपमेंट को छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन कराने आवेदन पेश किया गया था। प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज पूर्णरूप से जमा नहीं किये जाने के कारण प्रकरण संधारित किया गया। – प्रकरण से संबंधित प्रोजेक्ट पंजीयन की कार्यालयीन दस्तावेजों के अनुसार अनावेदक/प्रमोटर को वर्ष 2015 में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा–3 के प्रावधान में परन्तुक अनुसार– ''उन परियोजनाओं के लिये, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को चल रही है और जिनके लिये कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, संप्रवर्तक उक्त परियोजना का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिये इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्राधिकारी को आवेदन करेगा।'' अतएव अनावेदक का प्रोजेक्ट ''चन्द्र प्राईड'' जिला–रायगढ़ (छ.ग.) का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र वर्ष 2015 में जारी होने के कारण छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन नामंजूर किया जाकर पंजीयन हेतु जमा कराये गये निर्धारित पंजीयन शुल्क की राशि अनावेदक/प्रमोटर को वापस किया जावे। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ भेजा जावे। सही/– (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य सही/– (विवेक ढाँड) अध्यक्ष	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 290 **SM-PRO-2021-01489**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध मेसर्स चन्द्रपाल शुक्ला, द्वारा–श्री मनीष शुक्ला, पता–चन्द्र नगर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''चन्द्र प्राईड'' जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर